

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही
(पीठासीन अधिकारी: आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर

बनाम

अभियुक्त

नीबाराम पुत्र थानाराम देवासी, (विक्रेता एवं मालिक),
निवासी- 27 रेबारियों का वास, चोटीला, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरौही

प्रकरण संख्या: 02/2018

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य पदार्थ एवं मानक
अधिनियम, 2006 ”

उपस्थिति:


अभियुक्त नीबाराम स्वयं

-: निर्णय :-

दिनांक 09 मई, 2018

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 17.10.2017 को समय 8.30 ए.एम. पर आवेदक विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन- जोधपुर ने बहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी दौराने गश्त स्वरूपगंज पुलिस थाने के सामने वाहन संख्या आर.जे.27 टी 2643 को रुकवाया व अपना परिचय दिया व परिचय पत्र दिखाया। उक्त वाहन में चेक करने पर 150 किलोग्राम खोया (मावा) प्लास्टिक के 5 कट्टो में रखा हुआ था जो आम जनता को मिठाई बनाने हेतु बेचने के लिये जा रहा था। उक्त वाहन को गोविन्द सिंह चला रहा था, पास बैठे हुए नीबाराम ने अपने आप को खाद्य पदार्थ का मालिक होना बताया व मांगने पर भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र आरजे/22/167/210448 दिखाया व मौके पर वाहन संख्या आर.जे.27 टी 2643 की आर.सी. व वाहन चालक गोविन्द सिंह का ड्राईविंग लाईसेन्स की छायाप्रति उपलब्ध करवाई। उक्त वाहन में रखे मावे के कट्टो को निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने से जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की एवं इसकी सूचना प्रपत्र 5ए में विक्रेता को भरकर दी व प्रपत्र 5ए पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए पर मेरे, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं, जो मूल ही संलग्न हैं। गवाहान के समक्ष विक्रेता को उसके द्वारा बताये गये बाजार भाव से रुपये 130/- नकद देकर एक किलोग्राम खोया (मावा) एक साफ सूखी खाली स्टील की थाली में खरीदा एवं रुपये की रसीद प्राप्त की, जिस पर मेरे, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर हैं, जो मूल ही संलग्न हैं। विक्रेता व गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा खोया (मावा) को साफ, सूखी, खाली चौड़े मुंह की शोशीयों में बराबर बराबर भरकर 20-20 बूंद फॉर्मेलीन
.....पेज दो पर


प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.




डालकर शीशीयों के मुंह को ढक्कन से एयरटाईट बंद कर मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के कोड एवं क्रमांक S-767, दिनांक, नमूना लेने का स्थान, खाद्य पदार्थ आदि का नाम अंकित कर उस पर विक्रेता, गवाहान व मैंने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों शीशीयों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। चारों नमूना भागों को रेपर में लपेटकर अलग अलग कागज में रखकर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-767 को नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर पेपर स्लीप को क्रॉस करते हुए विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता, गवाहान व मैंने हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फिर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया था। चारों नमूना भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व मजबूत धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया एवं फार्म नंबर 6 की दो प्रतियाँ अलग से लिफाफे में बंद कर गोंद से चिपकाकर सील चपड़ी से सिल्ड किया एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित कर उक्त एक सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा मेरे द्वारा दिनांक 18.10.2017 को खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 18.10.2017 को शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के पत्र क्रमांक 5373-75 दिनांक 18.12.2017 के संलग्न खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:एलएस/1123/एक्ट/2017/1123 दिनांक 24.11.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का नमूना का नमूना S-767 अमानक स्तर (Sub-standard) पाया गया। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) खाद्य पदार्थ मावा (खोया) का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन किया है जो धारा- 51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।

(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी कर विधिवत तामिल करवाया गया। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 09.5.2018 को अभियुक्त नीबाराम ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब प्रस्तुत कर जुर्म स्वीकार किया। अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह अंकित किया है कि दिनांक 17.10.2017 को सरुपगंज में मेरे पास से श्री विजयकान्त, खाद्य

.....पेज तीन पर


 प्रति जिता मणिसूदेव
 सिरौही-307001




सुरक्षा अधिकारी ने खोया (मावा) का नमूना लिया था जो जांच में अमानक पाया गया है। उक्त खोया मावा मैंने अन्य से खरीदा था। भविष्य में अच्छी, शुद्ध व गुणवत्ता वाली सामग्री का विक्रय करूंगा। भविष्य में ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरा जुर्म स्वीकार करता हूँ। अतः कम जुर्माना करके इस प्रकरण का निस्तारण करने की कृपा करावे।

(3) प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत तिथि 09.5.2018 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित नहीं हुये तथा अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार कर लिये जाने से अभियुक्त को सुना गया। अभियुक्त ने यह व्यक्त किया कि उसने मावा अन्य व्यक्ति से खरीदा था, उसने मावे में कोई मिलावट नहीं की है, इसलिये कम जुर्माना किया जावे।

(4) प्रकरण में न्यायालय पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि आवेदक श्री विजय कांत गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 17.10.2017 को समय 8.30 ए. एम. पर दौरान गश्त स्वरूपगंज पुलिस थाने के सामने वाहन संख्या आर.जे.27 टी 2643 को रुकवाया एवं उक्त वाहन को चैक करने पर उक्त वाहन में 150 किलोग्राम खोया (मावा) प्लास्टिक के 5 कट्टो में रखा हुआ था जो आम जनता को मिटाई बनाने हेतु बेचने के लिये जा रहा था। उक्त वाहन में वाहन चालक श्री गोविन्द सिंह के पास बैठे नीबाराम ने अपने आप को खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का मालिक होना बताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त वाहन में रखे मावे के कट्टो का निरीक्षण करने पर मिलावट का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य पदार्थ एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्रय की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना विक्रेता नीबाराम को प्रपत्र संख्या 5ए में भरकर दी एवं रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा गवाहान के समक्ष विक्रेता नीबाराम को बाजार भाव से राशि रुपये 130/- (अक्षरे रुपये एक सौ तीस मात्र) नकद अदा कर एक किलोग्राम खोया (मावा) को एक साफ सुखी खाली स्टील की थाली में खरीदा एवं रुपयों की रसीद प्राप्त की। प्रपत्र संख्या 5ए, नमूना खरीद रसीद एवं बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता नीबाराम, गवाह श्री गोविन्द सिंह सिंदल पुत्र श्री मंगलसिंह, जाति- राजपूत, निवासी- राजपुरा, जिला- सिरोही एवं श्री रामसिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही तथा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने विक्रेता व उक्त गवाहान के समक्ष उक्त खरीदशुदा खोया (मावा) को पुनः एकरूप कर चार भागों में बराबर-बराबर कर 4 साफ सूखी खाली चौड़े मुंह की शीशीयों में भरकर 20-20 बूंदे फॉर्मेलीन की डालकर शीशीयों के मुंह को ढककन से एयरटाईट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-767, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर विक्रेता एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूनों भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से

.....पेज चार पर

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही-307001



चिपकाया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरौही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-767 को नियमानुसार गोद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता व उक्त गवाहान के के पेपर स्लिप क्रोस करते हुए हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने स्वयं हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर विक्रेता, उक्त गवाहान एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत विक्रेता नीबाराम से खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।


तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सीलड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपड़ी किया। फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में रखकर लिफाफे को सील चपड़ी से सिलड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी स्वयं ने दिनांक 18.10.2017 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.10.2017 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर- 6 को अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का नमूना संख्या S-767 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण रिपोर्ट क्रमांक:L.S./1123/Act/2017/1123 दिनांक 24.11.2017 के अनुसार आवेदक श्री विजयकान्त गौतम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा विक्रेता नीबाराम से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया खाद्य पदार्थ खोया (मावा) अमानक स्तर (Sub-standard) का होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य साबित है कि अभियुक्त नीबाराम द्वारा अमानक स्तर (Sub-standard) का खाद्य पदार्थ खोया (मावा) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा-2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।


अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 कीपेज पांच पर

अति. निवा. मजिस्ट्रेट
सिरौही-307001.



धारा- 51 के तहत अभियुक्त नीबाराम पुत्र श्री थानाराम, जाति- देवासी, निवासी- 27 रेबारियों का वास, चोटीला, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही पर राशि रुपये 30,000/- (अक्षरे रुपये तीस हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। साथ ही, उक्त अभियुक्त नीबाराम पुत्र श्री थानाराम, जाति- देवासी, निवासी- 27, रेबारियों का वास, चोटीला, तहसील- शिवगंज, जिला- सिरोही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।




(आशाराम डूडी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही